167

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3948–एक/2016 – विरूद्व आदेश दिनांक 14–8–2015 – पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, पन्ना – प्रकरण कमांक 18 अ–6–अ/2014–15 अपील

अश्वनी कुमार पाण्डेय पुत्र बाबूलाल पाण्डेय
ग्राम सिरस्वाहा तहसील व जिला पन्ना,म0प्र0 ---आवेदक

विरूद्व

मध्य प्रदेश शासन ----अनावेदक

(आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)

(अनावेदक के पैनल लायर श्री डी0के0शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक 21 – 12– 2016 को पारित)

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, पन्ना के प्रकरण कमांक 18 अ–6–अ/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 14–8–2015 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने नायव तहसीलदार पन्ना को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मॉग की कि ग्राम अकला स्थित भूमि सर्वे कमांक 40 रकबा 1.58 हैक्टर बंदोवस्त के वाद सर्वे कमांक 32 रकबा 1.58 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) गयाप्रसाद पुत्र बाबूलाल ब्राहमण निवासी सिरस्वाहा के नाम अंकित थी। गयाप्रसाद नाम घरेलू बोलचाल का रहा है एंव विद्यालय में तथा अॅकसूची में अश्विनी कुमार नाम रहा है इसलिये उक्तांकित भूमि पर अश्विनीय कुमार का नाम दर्ज किया जाय। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 4 अ–6/89–90 पंजीबद्व किया तथा वाद जॉच आदेश दि0

30–4–90 से खसरे में सुधार करके गयाप्रसाद उर्फ अश्वनी कुमार पाण्डेय पुत्र बाबूलाल पाण्डेय का नाम अंकित करने के आदेश दिये।

वर्ष 2005–06 के वाद पदस्थ हलका पटवारी ने पुनः गयाप्रसाद पुत्र बाबूलाल पाण्डेय नाम खसरे में दर्ज कर दिया एंव अश्वनीकुमार नाम विलोपित कर दिया। इस त्रृटि के सुधार हेतु आवेदक ने नायव तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 5 अ–6–अ/2013–14 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 27–12–2014 से आवेदक का आवेदन पत्र अमान्य कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी पन्ना के समक्ष अपील करने पर प्रकरण कमांक 18 अ–6–अ/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 14–8–2015 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि गयाप्रसाद पाण्डेय पुत्र बाबूलाल पाण्डेय के नाम से भूमिस्वामी स्वत्च पर बंदोवस्त पूर्व से दर्ज रही है और यह भी निर्विवाद है कि वर्ष 1990–91 से वर्ष 2004–05 तक के खसरा में वादग्रस्त भूमि सुधारोपरांत गयाप्रसाद उर्फ अश्वनी कुमार पुत्र बाबूलाल के नाम दर्ज की गई है तथा अश्वनी कुमार नाम दर्ज करने का मूल आधार तहसीलदार के प्रकरण कमांक 4 अ 6 अ/ 1989–90 में पारित आदेश दिनांक 30–4–1990 है। भले ही यह प्रकरण तहसील न्यायालय में शोध करने पर उपलब्ध नहीं है परन्तु वर्ष 1990–91 से वर्ष 2004–05 तक के खसरा में गयाप्रसाद उर्फ अश्वनी कुमार पुत्र बाबूलाल का सॅशोधित नाम दर्ज होना इसका पर्याप्त प्रमाण है कि गयाप्रसाद ही अश्वनीकुमार पुत्र बाबूलाल पाण्डेय है।

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 117 – भू अभिलेखों में की गई प्रविष्टियों के बारे में उपधारणा – भू अभिलेखों में इस अध्याय के अधीन की गई समस्त प्रविष्टियों के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वे सही हैं जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय।

और खसरा वर्ष 1990–91 से वर्ष 2004–05 तक में वादग्रस्त भूमि गयाप्रसाद उर्फ अश्वनी कुमार पुत्र बाबूलाल पाण्डेय के नाम दर्ज होना प्रमाणित करता है कि वर्ष 2005–06 के वाद पदस्थ हलका पटवारी ने पुनः गयाप्रसाद पुत्र बाबूलाल पाण्डेय नाम खसरे में दर्ज कर दिया है एंव उर्फ अश्वनीकुमार शब्द विलोपित किया है । इस वास्तविकता के तत्प्रतिकूल सावित करने का भार तहसील में पदस्थ अभिलेख संधारणकर्ता का है किन्तु उसके व्दारा यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि गयाप्रसाद पुत्र बाबूलाल पाण्डेय का उपनाम अश्वनीकुमार नहीं है अपितु तहसीलदार के प्रकरण कमांक 4 अ 6 अ/ 1989–90 में पारित आदेश दिनांक 30–4–1990 से की गई प्रविष्टि तब यथावत् मानी जावेगी – जब तक तहसीलदार का आदेश दिनांक 30–4–90 निरस्त नहीं होता है। पटवारी व्दारा वर्ष 2005–06 के वाद निर्मित खसरों में गयाप्रसाद पुत्र बाबूलाल पाण्डेय नाम की खसरे में दर्ज की गई प्रविष्टि अधिकार–विहीन कार्यवाही है जिसे स्थिर रखने में नायव तहसीलदार ने एंव अनुविभागीय अधिकारी ने भूल की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, पन्ना व्दारा प्रकरण कमांक 18 अ–6–अ/2014–15 अपील में पारित आदेश दिनांक 14–8–2015 तथा नायव तहसीलदार व्दारा प्रकरण कमांक 5 अ–6–अ/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 27–12–2014 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा तहसीलदार के प्रकरण कमांक 4 अ 6 अ/ 1989–90 में पारित आदेश दिनांक 30–4–1990 के यथावत् रहने से आवेदक गयाप्रसाद उर्फ अश्वनी कुमार पुत्र बाबूलाल पाण्डेय का नाम वादग्रस्त भूमि पर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर